पत्रांक 2/दी-- 10 -/2012 255 (2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग ।

प्रेषक,

अमरजीत सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा के सभी चिकित्सा पदाधिकारीगण ।

पटना, दिनांक 12 मार्च,2012

विषयः–जून,2012 के स्थानान्तरण इत्यादि के संबंध में ।

महाशय,

जैसा कि आप अवगत हैं, राज्य सरकार की नीति है कि जून माह में ही स्थानान्तरण किया जाय । पिछले वर्ष भी आप सबों को पत्र सम्बोधित किया गया था और आप में से जिन लोगों को पदस्थापन लेकर समस्या थी, आपको सिविल सर्जन के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था । तदुनसार आवेदन प्राप्त हुए थे और आवेदनों की गहन समीक्षा कर स्थानान्तरण किया गया । वर्ष 2012 के जून माह में भी स्थानान्तरण किया जायगा । इस बार भी जिन चिकित्सकों को अपना अभ्यावेदन देना है, वे कृपया सिविल सर्जन के माध्यम से ही अभ्यावेदन देंगे । आपके आवेदन में पूर्व के पदस्थापन का व्यौरा भी रहे ताकि विभाग को निर्णय लेने में आसानी हो । आप सबों से अनुरोध है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और किसी तरीके से दवाब डालने अथवा सिफारिश करने पर यह आपके विरूद्ध अंकित होगा । अप्रील,2012 के सिविल सर्जन की बैठक में प्रत्येक जिला सिविल सर्जन से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी प्राप्त अभ्यावेदनों को एक साथ करें और अपनी अभ्युक्ति के साथ राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायें

इसके अतिरिक्त सभी सिविल सर्जन से अनुरोध किया जा रहा है कि प्रत्येक जिले में समीक्षा कर प्रशासनिक दृष्टिकोण से यदि कुछ चिकित्सकों का स्थानान्तरण करना हो तो उसकी भी सूची तैयार की जाय । प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण के प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख हो कि कौन से दायित्व का निर्वाह उक्त चिकित्सकों द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण का आधार क्या होगा ।

स्थानान्तरण का तीसरा आधार लम्बी अवधि तक एक ही स्वास्थ्य इकाई में बिताया गया कार्यकाल होगा । ऐसे मामलों में भी जिला सिविल सर्जन अपने मंतव्य के साथ प्रस्ताव देंगे । इस प्रक्रिया के बाहर एक भी आवेदन नहीं लिया जायगा और कृपया सीधे मुख्यालय मे स्थानान्तरण हेतु अभ्यावेदन न दें । ऐसा पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं नियमों का सुदृढ पालन करने के लिए किया जा रहा है । आपके हर जायज अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा, परन्तु ऐसा प्रक्रिया के अक्षरशः पालन करके ही किया जायगा ।

विश्वासभाजन,

(अमरजीत सिन्हा)
06/03/2012

ज्ञापांक- 2/टी-10/2012-255(2) पटना, दिनांक- 12.03.2012

प्रतिलिपिः- सभी सिविल सर्जन को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कि इसकी सूचना सभी चिकित्सकों को दी जाय तथा आपके लिए दिये गये उक्त आदेश का भी पालन करायें ।

(अमरजीत सिन्हा)
06/03/2012